कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

संक्षिप्त वित्तीय परिदृश्य

बिहार की अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में विगत वर्ष की तुलना में (13.09 प्रतिशत) सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (वर्तमान मूल्यों पर) 14.97 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से 2020-21 के ₹ 5.68 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 9.92 लाख करोड़ हो गया।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य ने ₹ 357.38 करोड़ (जीoएसoडीoपीo का 0.04 प्रतिशत) का राजस्व घाटा दर्ज किया। राज्य का राजकोषीय घाटा ₹ 41,222.50 करोड़ (जीoएसoडीoपीo का 4.16 प्रतिशत) रहा, जो जीoएसoडीoपीo के 3.50 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से अधिक था। वर्ष 2024-25 में कुल बकाया देनदारियां जीoएसoडीoपीo का 37.72 प्रतिशत रही, जो 39.90 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से कम थी।

कुल मिलाकर, वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य की राजकोषीय स्थिति प्रबंधनीय रही, जिसे मजबूत आर्थिक वृद्धि, संयमित राजस्व असंतुलन और निर्धारित सीमा के भीतर देनदारियों से समर्थन मिला। हालांकि राजस्व खाते में केवल मामूली घाटा दर्ज किया गया, लेकिन राजकोषीय घाटा 15वें वित्त आयोग के अनुरूप निर्धारित बिहार वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (बीoएफoआरoबीoएमo) लक्ष्य से अधिक रहा, जो मजबूत जीoएसoडीoपीo वृद्धि के बावजूद राजकोषीय संसाधनों पर दबाव का संकेत देता है। कुल देनदारियों का स्तर, यद्यपि अभी भी अनुमेय सीमा के भीतर है, फिर भी परिमाणात्मक रूप से निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित करता है।

राजस्व प्राप्तियां

वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,18,658 करोड़) में 13.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। संघीय करों के अधिक अंतरण तथा जीoएसoडीoपीo की मजबूत वृद्धि के कारण राजस्व उत्प्लावकता और राज्य की स्व राजस्व उत्प्लावकता क्रमशः 1.00 और 0.82 तक सुधरी। राज्य ने अपने कर राजस्व और गैर-कर राजस्व के रूप में (₹ 59,360 करोड़) अर्जित किए, जो विगत वर्ष के (₹ 53,618 करोड़) की तुलना में अधिक है। राज्य के स्व राजस्व में वर्ष-दर-वर्ष 10.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई, किंतु यह जीoएसoडीoपीo की 13.09 प्रतिशत वृद्धि दर के अनुरूप नहीं रही। राज्य के स्व राजस्व प्रदर्शन में सुधार हुआ, फिर भी संघीय करों के अंतरण (59.20 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों (13.66 प्रतिशत) पर निर्भरता पर्याप्त रूप से बनी रही।

राजस्व व्यय

वर्ष 2020-25 के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 83 प्रतिशत से अधिक रहा, जो यह दर्शाता है कि प्राप्तियों का बड़ा हिस्सा नियमित खर्चों पर व्यय हो रहा है तथा पूंजीगत निवेश के लिए राजकोषीय गुंजाइश सीमित है। वर्ष 2024-25 में प्रतिबद्ध व्यय में 19.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो विगत पाँच वर्षों में किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान सर्वाधिक वृद्धि थी। राजस्व व्यय के सापेक्ष प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत भी 2023-24 के 37.77 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 39.37 प्रतिशत हो गया।

बिहार में वर्ष 2024-25 के दौरान कुल सब्सिडी पर व्यय में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 2,065.68 करोड़ की वृद्धि हुई, तथापि राजस्व व्यय और कुल व्यय के सापेक्ष इसका प्रतिशत विगत वर्ष की तुलना में कम रहा। सब्सिडी मुख्यतः ऊर्जा, खाद्य, कृषि तथा उद्योग राहत उपायों के अंतर्गत प्रदान की गई।

समग्र रूप से, वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 48 प्रतिशत भाग प्रतिबद्ध व्यय तथा सब्सिडी पर व्यय किया गया, जिससे विकासात्मक एवं पूंजीगत व्यय के लिए केवल 52 प्रतिशत राजकोषीय उपलब्धता रही।

पूंजीगत व्यय

वर्ष 2020-25 के दौरान पूंजीगत व्यय में 111 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह 20.61 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से लगातार बढ़ता रहा। जीoएसoडीoपीo के प्रतिशत के रूप में इसमें 2023-24 तक निरंतर वृद्धि देखी गई, जिसके बाद 2024-25 में इसमें हल्की गिरावट दर्ज की गई। यह दर्शाता है कि दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दी जा रही थी। तथापि, वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार द्वारा राजस्व प्रकृति के ₹ 33.11 करोड़ के व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया, जिससे पूंजीगत व्यय इस सीमा तक अधिक बढ़ गया।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (एसपीएसई) में निवेश

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सरकार का निवेश 2020-21 के ₹ 32,871 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 45,665 करोड़ हो गया, जबकि राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्राप्त लाभांश भुगतान 2021-22 में ₹ 6.54 करोड़ से घटकर 2024-25 में ₹ 3.34 करोड़ रह गया। इसका कारण राज्य में लाभांश घोषणा नीति का अभाव था। वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य ने विभिन्न राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को शेयर/इक्विटी के रूप में ₹ 4,152.24 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की। इनमें से ₹ 3,991.60 करोड़ का निवेश वर्ष 2024-25 के दौरान तीन घाटे में चल रहे राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में किया गया।

देनदारियां

मार्च 2025 तक, राज्य की सकल देनदारियाँ ₹ 3,74,134 करोड़ थीं। ऋण और जीoएसoडीoपीo अनुपात 2020-21 के 40.01 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 37.04 प्रतिशत हो गया। इसके बाद 2024-25 में यह मामूली रूप से बढ़कर 37.72 प्रतिशत हो गया, जिसका मुख्य कारण आंतरिक ऋण तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋणों में वृद्धि था। वर्ष 2020-25 के दौरान राज्य की कुल बकाया देनदारियाँ बिहार वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के भीतर रहीं। इसके अतिरिक्त, राज्य ने राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट, ब्याज देनदारियाँ, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, सड़क सुरक्षा उपकर तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (श्रम उपकर) में कम अंतरण से संबंधित ₹ 2,139.82 करोड़ की अदत्त देनदारियाँ भी निर्धारित खातों में अंतरित नहीं की थीं, जो कि 2024-25 के दौरान राज्य की जीoएसoडीoपीo का 0.21 प्रतिशत तथा राजकोषीय घाटे का 5.19 प्रतिशत थी।

अल्प से मध्यम अवधि (0-7 वर्ष) में देनदारियों की एक बड़ी राशि (₹ 1,57,322 करोड़), जो कुल बकाया ऋण का 50.18 प्रतिशत है, के परिपक्व होने से पुनर्वित्तपोषण तथा तरलता संबंधी संभावित दबावों का जोखिम और अधिक बढ़ जाता है।

बजटीय प्रबंधन

बिहार के कुल बजट में 48.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो वर्ष 2020-21 के ₹ 2,45,522.62 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 3,64,518.87 करोड़ हो गया। इसी अवधि के दौरान कुल बजट की तुलना में बचत 31.61 प्रतिशत (2020-21) से 20.08 प्रतिशत (2023-24) के बीच रही। वर्ष 2024-25 में ₹ 3,64,518.87 करोड़ के कुल बजटीय प्रावधान के विरुद्ध राज्य ने केवल ₹ 2,87,178.49 करोड़ का व्यय किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 77,340.38 करोड़ (21.22 प्रतिशत) की बचत हुई। कुल बजट के विरुद्ध बृहत बचत यह दर्शाती है कि आवश्यकताओं का आकलन पर्याप्त रूप से सटीक नहीं था तथा बजट अनुमान यथार्थ नहीं थे।

वर्ष 2024-25 के दौरान 12 विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत 35 मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ या अधिक) ₹ 6,225.58 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए, क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुँचा। आठ विभागों के अंतर्गत 15 लेखा शीर्षों में ₹ 147.26 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 5 करोड़

या अधिक) का पुनर्विनियोग भी अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि व्यय या तो मूल/कुल बजटीय प्रावधानों के बराबर या उससे कम रहा। ₹ 77,340.38 करोड़ की कुल बचत में से ₹ 66,952.02 करोड़ (कुल बचत का 86.57 प्रतिशत) की पर्याप्त राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

एकल नोडल एजेंसी (एसoएनoएo)

वर्ष 2024-25 में, राज्य द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अपेक्षित केन्द्रांश से ₹ 441.29 करोड़ कम राशि अंतरित की गई। वर्ष 2024-25 के अंत में पीoएफoएमoएसo डैशबोर्ड के अनुसार एसoएनoएo की अंतशेष राशि और स्वयं एसoएनoएo द्वारा प्रतिवेदित की गई राशि के बीच ₹ 1,478.41 करोड़ का अंतर पाया गया, जिसका समाशोधन किया जाना आवश्यक है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य कोषागार से संबंधित एसoएनoएo को केन्द्रांश तथा राज्यांश के अंतरण में क्रमशः 167 दिनों और 246 दिनों तक का विलंब हुआ, जिससे राज्य के खजाने पर अतिरिक्त भार पड़ा।

उपयोगिता प्रमाण-पत्र

वर्ष की शुरुआत (अप्रैल 2024) में, ₹ 70,877.61 करोड़ राशि से संबंधित 49,649 उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित थे। वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ 39,228.57 करोड़ के कुल 9,336 लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का निस्तारण किया गया। मार्च 2025 तक, ₹ 92,132.75 करोड़ राशि से संबंधित 62,632 उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित थे। वर्ष 2024-25 के दौरान लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या में विगत वर्ष की तुलना में 26.15 प्रतिशत वृद्धि हुई। इनमें से ₹ 21,515.36 करोड़ राशि से संबंधित 3,505 उपयोगिता प्रमाण-पत्र 2019-20 से पूर्व के थे, जो कमजोर निगरानी तथा धन के दुरुपयोग के जोखिम को दर्शाता है।

सार आकस्मिक (एoसीo) विपत्रों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक (डीoसीo) विपत्र

वर्ष की शुरुआत (अप्रैल 2024) में ₹ 9,390.28 करोड़ राशि से संबंधित 17,573 सार आकस्मिक (एoसीo) विपत्र लंबित थे। वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 1,016.94 करोड़ राशि के कुल 2,038 एoसीo विपत्र आहरित किए गए, जिनमें से ₹ 679.36 करोड़ से संबंधित 1,366 एoसीo विपत्र (66.80 प्रतिशत) मार्च 2025 में आहरित किए गए, जो बजटीय प्रावधानों को समाप्त करने के लिए वर्ष के अंत में सघन व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, 2,038 एoसीo विपत्रों के विरुद्ध केवल 124 एoसीo विपत्र जो ₹ 45.48 करोड़ का था, को समायोजित किया गया। 31 मार्च 2025 तक, ₹ 10,361.74 करोड़ राशि (जिनमें ₹ 5,513.69 करोड़ पूंजीगत व्यय से संबंधित हैं) के कुल 19,487 एoसीo विपत्र समायोजन हेतु लंबित थे। वर्ष 2024-25 के दौरान लंबित एoसीo विपत्रों में विगत वर्ष की तुलना में 10.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एoसीo विपत्रों की लंबित रहने से धन के दुरुपयोग, दुर्विनियोजन तथा राज्य के खजाने को हानि होने का जोखिम बना रहता है।

व्यक्तिगत जमा (पीoडीo) खाते का संचालन

मार्च 2025 तक, 252 प्रशासकों के व्यक्तिगत जमा (पीoडीo) खातों में ₹ 2,659.57 करोड़ की शेष राशि थी। वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य की संचित निधि से व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 1,686.66 करोड़ हस्तांतरित किए गए, जिसमें मार्च 2025 में ₹ 644.07 करोड़ का हस्तांतरण भी शामिल है। इससे वर्ष के अंत में धन के पार्किंग की स्थिति उत्पन्न हुई, जो यथार्थ बजट निर्माण के उद्देश्य को कमजोर करती है। 252 पीoडीo खाता प्रशासकों में से केवल 16 ने वर्ष 2024-25 के दौरान अपने खातों की शेष राशि का कोषागार अभिलेखों से मिलान एवं सत्यापन किया, जो कमजोर आंतरिक नियंत्रण का संकेत देता है।

इसके अतिरिक्त, बिहार कोषागार संहिता (बीटीसी), 2011 के नियम 344 का अनुपालन न होने के कारण ₹ 141.13 करोड़ की राशि व्यपगत हो गई, जिससे निकासी के वर्ष में राजस्व व्यय अधिक प्रदर्शित हुआ।

109 निष्क्रिय पी०डी० खातों में ₹ 13.85 करोड़ की निष्क्रिय शेष राशि पाई गई, जो अपर्याप्त निगरानी तथा आवधिक समीक्षा के अभाव को दर्शाती है।

व्यक्तिगत खाता बही (पी०एल०) खाते का संचालन

मार्च 2025 तक 398 प्रशासकों के व्यक्तिगत बही (पी०एल०) खातों में ₹ 31,830.36 करोड़ की राशि शेष थी। वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य की संचित निधि से पी०एल० खातों में ₹ 21,300 करोड़ अंतरित किए गए, जिससे वैधानिक निरीक्षण को दरकिनार किया गया और पारदर्शिता कम हुई। 398 पी०एल० खाता प्रशासकों में से केवल 33 ने वर्ष 2024-25 के दौरान कोषागार अभिलेखों के साथ अपनी शेष राशि का मिलान और सत्यापन किया। शेष राशि के मिलान नहीं करने से न केवल वित्तीय प्रतिवेदन की सटीकता और विश्वसनीयता प्रभावित हुआ, बल्कि संचित निधि के बाहर रखी गई राशि के गलत विवरण, दुरुपयोग या विचलन का जोखिम भी बढ़ा।